संख्या-228/2018/4045/26-3-2018-4(358)/07टी0सी0-III

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 22 नवम्बर 2018

विषय: **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह 1 2 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11-12) योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में अध्ययनरत, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करने एवं अन्य समस्त कार्यवाही पूर्ण करने हेतु पूर्व निर्गत समय-सारिणी को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-222/2018/3843/26-3-2018- 4(358)/07 टी0सी0- III दिनांक 06 नवम्बर, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र- 2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11-12) योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर एवं अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करने एवं अन्य समस्त कार्यवाही पूर्ण करने हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

2- अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा घोषणा की गयी है कि प्रत्येक जनपद में मा0 प्रभारी मंत्री/जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रतिवर्ष 02 अक्टूबर व 26 जनवरी को छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाये। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 के प्रथम त्रैमास में लोक सभा सामान्य निर्वाचन भी सम्भावित है।

3- उक्त के दृष्टिगत शासन स्तर पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिन छात्रों के आवेदन पत्र शिक्षण संस्था स्तर से दिनांक 22-10-2018 तक अग्रसारित किये जा चुके हैं, उन छात्रों को समस्त प्रक्रिया के उपरांत दिनांक 24 जनवरी, 2019 तक छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया जाये। दिनांक 06-11-2018 को निर्गत समय-सारिणी के अनुसार जिन संस्थाओं/छात्रों के आवेदन पत्र भरकर अग्रसारित होंगे, उन्हें धनराशि की उपलब्धता के आधार पर माह मार्च में छात्रवृत्ति का वितरण किया जायेगा। वरीयता के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

दिनांक-24 जनवरी 2019 तक छात्रवृत्ति वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	**प्रक्रियात्मक कार्यवाही**	**कार्यवाही की वर्तमान समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु**	**कार्यवाही की प्रस्तावित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु**
1	**2**	**3**	**4**
1	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	23 अक्टूबर से 20 नवम्बर 2018 तक	26 नवम्बर से 12 दिसम्बर 2018 तक
2	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सही डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत एवं डिजिटल सिग्नेचर से सही डाटा लाक किया जाना।	15 दिसम्बर 2018 तक	24 दिसम्बर 2018 तक
3	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	21 नवम्बर 2018 से 01 दिसम्बर 2018 तक	13 दिसम्बर 2018 से 22 दिसम्बर 2018 तक
4	आनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके फाईनल सबमिट करने के 02 दिन के अन्दर, विलम्बतम 03 दिसम्बर 2018 तक	आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके फाईनल सबमिट करने के 02 दिन के अन्दर, विलम्बतम 26 दिसम्बर 2018 तक
5	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त	22 नवम्बर 2018 से 05 दिसम्बर 2018 तक	14 दिसम्बर 2018 से 28 दिसम्बर 2018 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

	विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाईन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।		
6	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	06 दिसम्बर 2018 से 16 दिसम्बर 2018 तक	29 दिसम्बर 2018 से 09 जनवरी 2019 तक
7	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा से अलग शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना।	24 दिसम्बर 2018 तक	10 जनवरी 2019 तक
8	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लाॅक किया जाना।	10 जनवरी 2019 तक	17 जनवरी 2019 तक
9	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	16 जनवरी 2019 तक	20 जनवरी 2019 तक
10	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	24 जनवरी 2019 तक	24 जनवरी 2019 तक
11	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/ कार्यक्रम आयोजित करना।	26 जनवरी 2019 को	26 जनवरी 2019 को

अतएव दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 को प्रसारित छात्रवृत्ति समय-सारिणी एतद्द्वारा निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों एवं उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2018-19 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। छात्रवृत्ति से सम्बन्धित निर्गत समय-सारिणी दिनांक 06 नवम्बर, 2018 यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

पृ0सं0-228 /2018/4045 (1)/26-3-2018 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/ नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in